

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 12, बुधवार, श॥के 1947- दिसम्बर 03, 2025 Agrahayana 12, Wednesday, Saka 1947- December 03, 2025		

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2025

संख्या प.1(63)वन/ 2015 :-यत; राज्य सरकार की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.3(34)वन/2007 जयपुर, दिनांक 06.07.2012, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति का मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) घोषित किया गया था;

और यत; अधिसूचना क्रमांक: प.1(63)वन/2017 जयपुर, दिनांक 26.05.2022 द्वारा रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के अधिसूचित मध्यवर्ती क्षेत्र में परिवर्तन (Alteration) करते हुये व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र से 436.35 हैक्टर क्षेत्र विमुक्त (Denotify) किया गया था। तत्पश्चात परिवेश पोर्टल पर वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स के प्रस्ताव (प्रपोजल संख्या WL/RJ/De Reservation/ 513370/2024) मे आवेदित खसरा नम्बर व क्षेत्रफल का भारत सरकार द्वारा विभेदक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) से ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाईन्ट्स सर्वे करवाने पर मध्यवर्ती क्षेत्र 435.51 हैक्टर ही पाया गया था, इसलिये मध्यवर्ती क्षेत्र मे से 0.84 हैक्टर अधिक विमुक्त हुये क्षेत्र को रणथम्भौर व्याघ्र आरक्षिति के मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) सम्मिलित किया जाना है,

अतः एव राज्य सरकार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल के अनुमोदन उपरान्त पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.3(34)वन/2007 जयपुर, दिनांक 06.07.2012, समय-समय पर यथा संशोधित, मे निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(I) अनुसूची-I के नीचे विद्यमान जिला बूंदी वन क्षेत्र की सारणी मे विद्यमान अभिव्यक्ति,-

"

13-	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	संरक्षित वन	1149.96
-----	--------	-------------------------	-------------	---------

"

को अभिव्यक्ति,-

"

13-	कांकरा	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी	संरक्षित वन	1150.80
-----	--------	-------------------------	-------------	---------

"

से प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(ii) अनुसूची-I के नीचे विद्यमान अभिव्यक्ति,-

“मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र 27082.67 हैक्टर

राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र 14603.8879 हैक्टर

कुल योग:

41686.5579 हैक्टर

-----”

को अभिव्यक्ति,

“मध्यवर्ती क्षेत्र (Buffer Area) का विवरण

वन क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र 27083.51 हैक्टर

राजस्व क्षेत्र में मध्यवर्ती क्षेत्र 14603.8879 हैक्टर

कुल योग:

41687.3979 हैक्टर

-----”

से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, (वन)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।